रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 191] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 1981/ज्येष्ठ 5, 1903

No. 191] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 1981/JYAISTHA 5, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(टेक्सटाइल विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 1981

सा.का.नि. 366(अ).—केन्द्रीय सरकार, जूट कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 62) की धारा 32 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जूट कम्पनी राष्ट्रीयकरण (किसी सम्पत्ति के बंधक, भार, उसमें धारणाधिकार या अन्य हित की सूचना) नियम, 1981 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 परिभाषाएं —इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,

(क) "अधिनियम" से जूट कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1980 (1980 का 62) अभिप्रेत है ।

(ख) उन सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु जूट कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 62) में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में है ।

3 सूचना के लिए समय सीमा —किसी ऐसी सम्पत्ति का जो केन्द्रीय सरकार में इस अधिनियम के अधीन निहित हो गई है, प्रत्येक बंधकदार और ऐसी सम्पत्ति में या उसके संबंध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसी तारीख से जो धारा 17 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसे बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित की सूचना आयुक्त को देगा ।

परन्तु यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे बंधकदार या व्यक्ति को तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर सूचना देने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था तो वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, तीस दिन की और अवधि के भीतर किन्तु उसके पश्चात् नहीं, सूचना स्वीकार कर सकेगा ।

4 सूचना की रीति —(1) नियम 3 के अधीन आयुक्त को दी जाने वाली प्रत्येक सूचना आयुक्त को संबोधित लिखित

रूप में होगी और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :—

(क) किसी ऐसी संपत्ति के बंधकदार या उसमें अथवा उसके संबंध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाले व्यक्ति का नाम, विवरण और पूरा पता ;

(ख) उस उपक्रम का नाम जिसके संबंध में सूचना दी जाती है ;

(ग) बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित के अधीन शोध्य रकम (भारतीय करेंसी में) ;

(घ) ऐसी लिखत की, यदि कोई हो, जिसके द्वारा बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित प्रतिभूत किया गया है, विशिष्टियां जो लिखत की अनुप्रमाणित प्रति द्वारा समर्थित हो ;

(ङ) प्राप्त हो चुकी रकम की, यदि कोई हो, विशिष्टियां;

(च) कोई अन्य सुसंगत विशिष्टि ; और

(छ) दावा किया गया जनुतोष ।

(2) प्रत्येक सूचना बंधकदार या भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाले व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यकत: प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सम्यकत: हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाएगी ।

(3) सूचना सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान संधाय आयुक्त, चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग, 4-नेताजी सुभाष मार्ग, कलकत्ता-700001 के कार्यालय में फाइल की जा सकेगी या रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा आयुक्त को भेजी जा सकेगी ।

[फाइल सं. 29/(2)/81-जूट]
एस. के. सरकार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 1981

G.S.R. 366(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (a) of sub-section (2), of section 32 of the Jute Companies (Nationalisation) Act, 1980 (62 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Jute Companies Nationalisation (Intimation regarding Mortgage Charge, Lien or other Interest in any property) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Jute Companies (Nationalisation) Act 1980 (62 of 1980) ;

(b) all other words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Jute Companies (Nationalisation) Act, 1980 (62 of 1980), shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Time limit for intimation.—Every mortgagee of any property which has vested under the Act in the Central Government and every person holding any charge, lien or other interest in, or in relation to, any such property shall give an intimation of such mortgage, charge, lien or other interest to the Commissioner within a period of thirty days from such date, as may be specified by the Central Government under section 17.

Provided that if the Commissioner is satisfied that such mortgagee or person was prevented by sufficient cause from giving that intimation within the said period of thirty days, he may accept the intimation within a further period of thirty days, after recording reasons therefor in writing, but not thereafter.

4. Manner of intimation.—(1) Every intimation to be given to the Commissioner under rule 3 shall be in writing addressed to the Commissioner, and shall contain the following particulars namely :—

(a) name, description and full address of the mortgagee or the person holding charge, lien or other interest in, or in relation to any such property ;

(b) name of the undertaking in respect of which the intimation is made ;

(c) amount due under the mortgage, charge, lien or other interest (in Indian currency);

(d) particulars of the instrument, if any, by which the mortgage, charge, lien or other interest is secured, supported by an attested copy of the instrument ;

(e) amount, if any, already received with particulars ;

(f) any other relevant particulars; and

(g) relief claimed.

(2) Every intimation shall be duly signed and verified by the mortgagee, or the person holding the charge, lien or other interest or a person duly authorised by him.

(3) An intimation may be filed in the Office of the Commissioner of Payments, Chartered Bank Building, 4-Netaji Subhas Road, Calcutta-700001, on any working day during office hours or may be sent to the Office of the Commissioner by registered post, with acknowledgment due.

[File No. 29(2)/81-Jute]
S. K. SARKAR, Joint Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981